



पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-01, नीमच

PM SHRI

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एवं स्वायत्त निकाय
KENDRIYA VIDYALAYA NO.1, NEEMUCH

AN AUTONOMOUS BODY UNDER MINISTRY OF EDUCATION, GOVERNMENT OF INDIA

दूरदर्शन टावर के सामने, किला रोड, नीमच (म.प्र.) 458441/Opp. Doordarshan Tower, Kila Road, Neemuch - 458441(M.P.)

दूरभाष/ Phone: (07423)-220233

ई-मेल/ E-Mail: ppl.neemuchcrpf@kvs.gov.in वेबसाइट /Website: <https://crpfneemuch.kvs.ac.in>

KV Code 1127

CBSE Affiliation No: 1000009

UDISE Code: 23180720605

CBSE School Code: 54111

फा. क्र. 2-29/14050/के.वि.क्र.1/नीमच/ 2024-25

दिनांक: 25.09.2024

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) नई दिल्ली के पत्र क्रमांक फा. 11-55/2000-केविसं(सतर्कता)/पार्ट-I दिनांक 03.06.2015 एवं आदेश क्रमांक फा. 11-55/2000-केविसं(सतर्कता)/पार्ट-I/1122-25 दिनांक 05.03.20219 के आलोक में दिनांक 09.12.2013 से लागू कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 की धारा-4(2) के अंतर्गत निहित प्रावधानों और दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निपटान से संबंधित पूर्व में गठित समिति में संशोधन करते हुए आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaint Committee) का पुनर्गठन किया जाता है।

क्रम	समिति में धारित पद	सदस्यों के नाम एवं पदनाम पता सहित	क्षेत्राधिकार
	पीठासीन अधिकारी	श्रीमती सुनीता पोखवाल, स्नातकोत्तर शिक्षक-रसायन विज्ञान, केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच	To inquire into the complaints of sexual harassment at work place against the officials at the Kendriya Vidyalaya No.1 Neemuch
	महिला सदस्य	श्रीमती सविता मिश्रा, प्राथमिक शिक्षक, केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच	
	पुरुष सदस्य	श्री हेमिल्टन मसीह, स्नातकोत्तर शिक्षक- हिन्दी, केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच	
	एन जी ओ सदस्य	श्रीमती आरती ठाकुर, सचिव, उत्साह फाउंडेशन, 12, टीचर्स कॉलोनी, नीमच	

टिप्पणी: 1. पीठासीन अधिकारी एवं समिति के सदस्यों का कार्यकाल आदेश जारी होने से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा।

2. सभी स्तरों पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन इस आधार पर किया जाएगा जिससे कि गठित समिति में नामित सदस्यों में से आधे सदस्य महिलायें होंगी।

3. “कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013”/” Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013” के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समिति अधिनियम में परिभाषित प्रकृति की शिकायतों की जांच सख्ती के साथ निर्धारित कालानुक्रम एवं प्रक्रिया द्वारा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार की जाये।


अधीन


प्राचार्य

वितरण:

पीठासीन अधिकारी एवं समिति के सभी सदस्य
केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच का समस्त स्टाफ

प्राचार्य / PRINCIPAL
पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्र.01/PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA No.1
नीमच / NEEMUCH